12/11/21

दलवली प्रयोजन गावे के कि अभिदान मे
कि कुछ अपीलांटो का अनिवार्य उपस्थिति।
रिस्पोंडेंट तहसीलदार द्वारा पक्ष पेश कीया
गया। जिसे शा. पत्र दीया गया। रिस्पोंडेंट तहसीलदार
द्वारा पक्ष मे बताया की पंचायत ग्राम बरूसिंगेप
मे विक्रेता के बयान केला छोटी देवी w/o सोनेलाल
मीणा के नाम दर्ज की स्वीकृति दी गई। बहवान
है केला शंकरी देवी w/o शंकरलाल मीणा का
छोड दिया जाना बताया है।

शंकरी
छोटी

नि. छोटीदेवी

उभय पक्षो की बहस सुनी गई व पत्रावली
का अवलोकन कीया गया। अवलोकन से स्पष्ट
है की नामा. सं. 2539 निर्णय दिनांक 5-7.10
द्वारा ग्राम पंचायत सारसिया द्वारा विक्रेता के बयान
केला के नाम दर्ज की स्वीकृति दी गई। बहवान के
केला अपीलांट का नाम छोड दिया गया। जिसे
न्यायालय अपीलांट की अपील को स्वीकार करना
उचित समझता है।

P.d.V
बद्रीलाल मीणा

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर
ग्राम सारसिया प.ह. सारसिया के नामा. सं. 2539
निर्णय दिनांक 05.07.2010 को निरस्त किया जाता है।
एवं तहसीलदार जहाजपुर को निर्देश दिए कीया जाता
है की प्रकरण मे विक्रय पत्र के अनुसार जांच का
नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। निर्णय की प्रति
तहसीलदार को भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner